रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 5, 2010/चैत्र 15, 1932

No. 622] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 5, 2010/CHAITRA 15, 1932

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

का.आ. 749(अ).—नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने और इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना तैयार करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत करती है ।

[फा. सं. 1-13/2009-ई. ई.-4]

अनिता कौल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2010

S.O. 749(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Right of Childreo to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Central Government hereby authorises the National Council of Educational Research and Training as the academic authority to lay down the curriculum and evaluation procedure for elementary education, and to develop a framework of national curriculum under clause (a) of sub-section (6) of Section 7 of the Act.

[F. No. 1-13/2009-EE-4]

ANITA KAUL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

का.आ. 750(अ).—नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत करती है ।

[फा. सं. 1-13/2009-ई. ई.-4]

अनिता कौल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2010

S.O. 750(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Central Government hereby authorises the National Council for Teacher Education as the academic authority to lay down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher.

[F. No. 1-13/2009-EE-4]

ANITA KAUL, Jt. Secy.

1235 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.